

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(51)2018/218

दिनांक : 10 मई, 2018

निमित्त,

तहसीलदार
राशमी



विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. श्री काना वि० मोहन गांडी वि० श्रीमान
2.
3. बनाम प्रार्थीगण
4. ① श्री काना वि० श्रीमान श्री नामक वि० श्रीमान
5. ② श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
6. ③ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
7. ④ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
8. ⑤ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
9. ⑥ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
10. ⑦ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
11. ⑧ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
12. ⑨ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान
13. ⑩ श्री काना वि० श्रीमान श्रीमान श्रीमान वि० श्रीमान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 51/2018

:-: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी :-:

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 250/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा श्रीमान पटवार हल्का श्रीमान तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 2012, 2014 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों है कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे।



401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी, सशमी
जिला चित्तौड़गढ़